

प्रेस-नोट
थाना- कोतवाली, झाँसी

दिनांक – 22.03.2025

गैर-इरादतन हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 22.03.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा पर गैर-इरादतन हत्या अपराध में पंजीकृत अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 20.03.2025 को वादी की भाभी संगीता अहिरवार के साथ उसके पति व उनके मित्र द्वारा बन्द कमरे के अंदर मारपीट करने से बेहोश हो जाने तथा मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गई लिखित प्रार्थना-पत्र के आधार पर दिनांक 21.05.2025 को थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 91/25 धारा 105 बीएनएस बनाम अभियुक्तगण 1- रविन्द्र उर्फ रिकू अहिरवार पुत्र तुलसीदास अहिरवार उम्र 39 वर्ष निवासी लक्ष्मीगेट बाहर लवकुश कालोनी कुलदीप स्कूल के पास थाना कोतवाली जनपद झाँसी 2- रोहित बाल्मीकि पुत्र प्रकाश बाल्मीकि नि0 ओरछा गेट बाहर बकरा मण्डी थाना कोतवाली जनपद झाँसी उम्र 30 वर्ष के पंजीकृत किया गया।

अभियोग उपरोक्त की विवेचना क्रम में आज दिनांक 21.03.2025 को समय 23:05 बजे कुलदीप स्कूल के पास मेन रोड, बड़ागांव गेट थाना कोतवाली जनपद झाँसी से अभियुक्तगण 1. रविन्द्र उर्फ रिकू अहिरवार व 2. रोहित बाल्मीकि उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. रविन्द्र उर्फ रिकू अहिरवार पुत्र तुलसीदास अहिरवार उम्र 39 वर्ष निवासी लक्ष्मीगेट बाहर लवकुश कालोनी कुलदीप स्कूल के पास थाना कोतवाली जनपद झाँसी
2. रोहित बाल्मीकि पुत्र प्रकाश बाल्मीकि नि0 ओरछा गेट बाहर बकरा मण्डी थाना कोतवाली जनपद झाँसी उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक समय व गिरफ्तारी का स्थान-

- अभियुक्तों को दिनांक 21.03.2025 समय 23.05 PM पर कुलदीप स्कूल के पास मेन रोड , चौकी बड़ागाँव गेट थाना क्षेत्र कोतवाली जनपद झाँसी से गिरफ्तार किया गया।

आपराधिक इतिहास

(A) रविन्द्र उर्फ रिकू अहिरवार पुत्र तुलसीदास अहिरवार उम्र 39 वर्ष निवासी लक्ष्मीगेट बाहर लवकुश कालोनी कुलदीप स्कूल के पास थाना कोतवाली जनपद झाँसी ।

1. मु0अ0सं0 91/25 धारा 105 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली ,झाँसी ।

(B) रोहित बाल्मीकि पुत्र प्रकाश बाल्मीकि नि0 ओरछा गेट बाहर बकरा मण्डी थाना कोतवाली जनपद झाँसी उम्र 30 वर्ष

1. मु0अ0सं0 91/25 धारा 105 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली ,झाँसी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. निरी0 श्री राजेश पाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, झाँसी ।
2. उ0नि0 आशीष धामा चौकी प्रभारी बडागांव गेट थाना कोतवाली ,झाँसी ।
3. का01442 अनुज कुमार थाना कोतावाली ,झाँसी ।
4. का0219 विजय कुमार थाना कोतवाली ,झाँसी ।
5. का0 1890 लोकेन्द्र कुमार थाना कोतवाली ,झाँसी ।

